सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

JAISALMER DAILY NEWS

www.jaisalmer.rajasthan.gov.in JaisalmerDistrict JaisalDistrict jaisalmerdistrict 18-05-2020, Monday

जैसलमेर - जिलास्तरीय क्वारंटाईन मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई,
जिला कलक्टर ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश,
होम एवं संस्थागत क्वारंटाईन के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर,
कोविड केयर सेंटर स्थापना की जाएगी, अधिकाधिक सेंपल लेकर जांच के लिए भिजवाएं,
पूर्ण समन्वय के साथ दायित्वों का बेहतर निर्वहन करें - नमित मेहता

जैसलमेर, 18 मई/कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम तथा इससे संबंधित क्वारंटाईन एवं अन्य गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिलास्तरीय क्वारंटाईन मैनेजमेंट समिति की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में हुई।

जिला कलक्टर श्री नमित मेहता जिलास्तरीय क्वारंटाईन मैनेजमेंट समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए।

इन अधिकारियों ने लिया हिस्सा

बैठक में कोविड-19 के जिला नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त (उप निवेशन) दुर्गेश बिस्सा, नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश बैरवा, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) भारत भूषण गोयल, उप निवेशन उपायुक्त देवाराम सुथार, तहसीलदार विकास भाटी, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल. बुनकर, जिला रसद अधिकारी भागुराम महला, जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्रकुमार व्यास सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

होम क्वारंटाईन का व्यापक निरीक्षण लगातार जारी रहे

जिला कलक्टर नमित मेहता ने कोविड-19 से संबंधित तमाम व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने जिले में आने वाले सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग और होम क्वारंटाईन सुनिश्चित करने, ग्रामस्तरीय टीमों के माध्यम से होम क्वारंटाईन की जांच, एएनएम द्वारा अपने क्षेत्र में रोजाना चैक करने आदि के निर्देश दिए।

समन्वित भागीदारी के साथ निभाएं दायित्व

उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, राजस्व स्टाफ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागीय मशीनरी के माध्यम से होम क्वारंटाईन से संबंधित निरन्तर निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने पुलिस के अधिकारियों, थानेदारों, बीट कांस्टेबल आदि का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए और कहा कि जो लोग होम क्वारंटाईन के निर्देशों की अवहेलना करते हैं उन्हें घरों से तत्काल हटाकर संस्थागत क्वारंटाईन में शिफ्ट कर दिया जाए।

संस्थागत क्वारंटाईन के लिए ऐहतियाती व्यवस्थाओं पर जोर

जिला कलक्टर ने जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संस्थागत क्वारंटाईन के लिए पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था करने पर जोर दिया और बताया कि इनके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या

में आरक्षित बेड्स की व्यवस्था रखी जाए ताकि आवश्यकता के वक्त इनका उपयोग हो सके। इसके लिए विभिन्न उपयुक्त स्थलों को चिह्नित करने तथा इससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

कोविड केयर सेंटर्स के लिए तैयारी करें

इनके साथ ही जिला कलक्टर ने कोविड केयर सेंटर्स स्थापित करने के बारे में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि इन्हें भी तत्काल चिह्नित कर निर्धारित गाईड लाईन के अनुरूप तमाम व्यवस्थाएं 3 दिन में सुनिश्चित करें। उन्होंने विदेश से आ रहे प्रवासी भारतीयों के लिए गाइड लाईन के अनुसार सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सेंपल की संख्या बढ़ाएं, महानरेगा में रोजगार दें

जिला कलक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि अधिकाधिक सेंपल लेकर जांच के लिए भिजवाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल ने बताया कि एक-दो दिन में फतेहगढ़ में भी सेंपल लिए जाने का कार्य एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा। जिला कलक्टर ने जिले में अधिकाधिक जरूरतमन्दों को महानरेगा में रोजगार देने के निर्देश दिए।

---000---

जैसलमेर - साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर ने दिए निर्देश

पानी-बिजली उपलब्धता पर सर्वोच्च प्राथमिकता,

विभागीय गतिविधियों और योजनाओं के काम-काज पर ध्यान दें,

लम्बित जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें - नमित मेहता

जैसलमेर, 18 मई/जिला कलक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों से कहा है कि सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित चल रही शिकायतों और समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के प्रति गंभीर रहें। पानी-बिजली उपलब्धता और इससे संबंधित दिक्कतों में तत्काल राहत दें। इसके साथ ही अब विभागीय गतिविधियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी गतिविधियों के क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आरंभ करें।

जिला कलक्टर श्री नमित मेहता सोमवार को जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए।

जिला कलक्टर ने सोमवार अपराह्न जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में जिले के सम सामयिक हालातों की समीक्षा के लिए जिलाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए।

बैठक में नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) भारत भूषण गोयल, उप निवेशन उपायुक्त देवाराम सुथार, नायब तहसीलदार हाबूलाल मीणा, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

त्वरित निस्तारण की आदत डालें

जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द कर लिए जाने, साठ दिन से अधिक लम्बित मामलों का निस्तारण अगली बैठक से पूर्व हर हाल में कर लिए जाने, जिले भर

में पेयजल उपलब्धता के साथ ही समय पर शिकायतों के निस्तारण, पानी के नमूने लेकर जांच कराने, ट्यूबवैल एवं हैण्डपंप मरम्मत के प्रति गंभीरता बरतने, विभागीय अधीनस्थों और ग्राम स्तर तक की मशीनरी को सक्रिय करने, पानी-बिजली के नियंत्रण कक्षों को जवाबदेह बनाने व इनमें आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करने, जल योजनाओं को बिजली से जोड़ने तथा लम्बित बिजली कनेक्शन जारी करने आदि के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

पेयजल व विद्युत प्रबन्धन के प्रति गंभीर रहें

अधीक्षण अभियन्ता सुरेशचन्द्र जैन (जलदाय) एवं नरेन्द्रकुमार जोशी (बिजली) ने ग्रीष्मकाल में विभागीय सेवाओं की उपनब्धता एवं बेहतरी के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर जानकारी दी। जिला कलक्टर ने बताया कि होम क्वारंटाईन निरीक्षण के लिए जाने वाले कार्मिकों को अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी-बिजली समस्याओं से संबंधित फीडबेक प्राप्त करने के लिए लगाया जाएगा ताकि साथ ही साथ यह कार्य भी हो सके।

रेस्पोंस नहीं मिला तो चार्जशीट

जिला कलक्टर ने चेतावनी दी कि नियंत्रण कक्षों पर कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों का रेस्पोंस अच्छा आना चाहिए अन्यथा फोन नहीं उठाने की शिकायत मिलने पर संबंधित को चार्जशीट थमाई जाएगी।

जिला कलक्टर ने जिले में टीकाकरण व लोक स्वास्थ्य के लिए जरूरी सम सामयिक योजनाओं का क्रियान्वयन करने, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास आरंभ करने पर बल दिया और कहा कि सरकारी की फ्लेगशिप योजनाओं के प्रति विशेष ध्यान केन्द्रित करें।

सफाईकर्मियों की सेहत के प्रति खास ध्यान दें

जिला कलक्टर ने कोरोना संक्रमण से सफाईकर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए सभी संभव प्रयासों पर जोर दिया और नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय को निर्देशित किया कि इसके लिए सफाईकर्मियों को मास्क, हैण्ड सैनेटाईजिंग आदि सभी संक्रमणरोधी सुरक्षा उपायों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें छोटे-छोटे समूहों में कोरोना संक्रमण से आत्म सुरक्षा के उपायों व तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करें।

इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी.एल. बुनकर से कहा कि कोविड से सावधानियों के बारे में जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागीय तथा नगर परिषद के सफाईकर्मियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

योजनाओं में लक्ष्य पाने सक्रिय रहें

जिला कलक्टर ने आगामी समय में नहरों की सफाई के लिए अभी से टेण्डर आदि की प्रक्रिया आरंभ करने, पशुओं में टीकाकरण व अन्य विभागीय गतिविधियों, शाला दर्पण व शिक्षा विभागीय प्रबन्धन को मजबूत करने, युवा मण्डलों की गांवों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति लोक जागरण में भूमिका सुनिश्चित करने, शत-प्रतिशत जरूरतमन्द बच्चों की परवरिश सुनिश्चित करने के लिए पालनहार योजना से जोड़ने और इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में बताया गया कि इस समय जिले में कहीं भी टिड्डियों का कोई प्रकोप नज़र नहीं आया है किन्तु सतर्क निगाह बनी हुई है और ऐहतियाती तैयारी सुनिश्चित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) भारतभूषण गोयल ने सम्पर्क में लम्बित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी देते हुए अधिकारियों से इस दिशा में गंभीरता से कार्यवाही करने को कहा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों पर जानकारी दी।

---000---

जैसलमेर शहर के मामूली हिस्से में ही कर्फ्यू बरकरार,
शेष क्षेत्र में कफ्र्यू हटाकर हाईरिस्क जोन होने से
प्रतिषिद्ध क्षेत्र(प्रोहिबिटेड एरिया) किया घोषित

जैसलमेर, 18 मई/ कोरोना वायरस संक्रमण जांच में पोजिटीव व्यक्ति आने के बाद जैसलमेर शहरी क्षेत्र में वार्ड संख्या 13 संपूर्ण एवम् वार्ड संख्या 12, 14, 28 के आंशिक क्षेत्र तथा वार्ड संख्या 14, 15, 25 व 26 के आंशिक क्षेत्र में आने वाले सीमा क्षेत्र में 11 व 13 मई को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत् जारी निषेधाज्ञा को नगर परिषद जैसलमेर क्षेत्र के अन्य स्थानों में स्थिति सामान्य होने के कारण संशोधित कर दिया गया है।

इस आशय का आदेश जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने सोमवार शाम जारी किया है। इसके अनुसार धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा में वर्णित क्षेत्र (वार्ड संख्या 13 संपूर्ण, वार्ड संख्या 12,14,28,15,24,25 का आंशिक क्षेत्र) में से कुछ परिक्षेत्र को छोडते हुए शेष क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित किया गया है। शेष क्षेत्र से 11 एवं 13 मई को जारी आदेश के जरिये प्रभावी निषेधाज्ञा को प्रत्याहारित (रिवोक) कर दिया गया है।

सोमवार को जारी आदेश के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र जैसलमेर में प्रतिषिद्ध क्षेत्र (प्रोहिबिटेड एरिया) में समस्त निवासी सामान्यतः रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व आवश्यक एवं अनुमत कारणों से ही बाहर विचरण कर सकेंगे।

आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं संबंधी सेवाएं यथा किराणा, दवाई, सब्जी, फ्रूट-फल की दुकानें खुली रहेंगी व दूध संग्रहण व वितरण अनुज्ञेय होगा। इन सेवाओं के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय, भारत सरकार व गृह विभाग राजस्थान सरकार के आदेशों के तहत् अनुमत गतिविधियां उपखण्ड अधिकारी से अनुमति पश्चात् अनुज्ञेय होंगी। अनुमत दुकानों के संचालक निर्धारित सुरक्षा उपायाें यथा सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, बिना मास्क पहने ग्राहक को विक्रय नहीं करना, निरंतर सेनेटाईजेशन व्यवस्था आदि की पूर्ण पालना करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर हाई रिस्क प्रतिषिद्ध क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही करेंगे। उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर समस्त प्रतिषिद्ध क्षेत्र की मेडिकल स्क्रीनिंग, आवश्यक वस्तु आपूर्ति, क्वारेन्टाइन के पर्यवेक्षण के साथ प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

जैसलमेर शहर के मात्र इन इलाकों में फिलहाल जारी रहेगा कर्फ्यू

वार्ड 13 का आंशिक भाग निम्नानुसार है -

त्रिलोकजी वासु व दीनदयाल जी कल्ला के मकान से दक्षिण की ओर जाने वाली गली (जो गोयदानी पाड़ा कंधारी पाडा से होती हुई नथमल हवेली चौक से आँचल स्वीट होम तक की सीधी है) के दोनों ओर मकानों का समस्त क्षेत्र।

वार्ड संख्या 26 आंशिक भाग निम्नानुसार -

पटवा हवेली के पास दक्षिण की ओर स्थित गांधी मेडिकल स्टोर व दूसरी ओर कृष्णकांत छंगाणी के मकान से पूर्व की ओर जाने वाली सीधी गली, लक्ष्मीनारायण शारदा के मकान से होते हुए बसंत कोठारी व राजेश आचार्य के मकान तक गली के दोनों तरफ के मकान व लक्ष्मीनारायण शारदा के मकान से उत्तर में खेमचंद कुम्हार व आशीष भाटिया के मकान से दक्षिण की ओर मूलचन्द शारदा व मदनलाल शारदा के मकान तक सीधी गली के दोनों तरफ के मकानाें वाला समस्त क्षेत्र।

---000---

जैसलमेर - सोमवार को 239 रिपोर्ट प्राप्त, सभी नेगेटिव,

सोमवार को 129 सेम्पल लेकर जांच के लिए भिजवाए

जैसलमेर, 18 मई/ जैसलमेर जिले से पूर्व में भिजवाए गए कोरोना जांच सेम्पल्स में से सोमवार को 239 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। ये सभी रिपोर्ट नेगेटिव आयी हैं। जिले में सोमवार शाम तक कुल 129 जनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.के. बारूपाल ने बताया कि आरंभ से लेकर अब तक जैसलमेर जिले में 3 हजार 564 सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए। इनमें 3 हजार 248 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें अब तक 47 पोजिटीव आए हैं तथा 3 हजार 201 जनों के सैंपल कोरोना जांच में नेगेटिव आए हैं।

---000---

कृषि विभाग ने जिले के किसानों से की अपील -

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने आधार नम्बर अनिवार्य रूप से कराएं अपडेट

जैसलमेर, 18 मई/जिले में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ-2019 में बीमा योजना के लाभ के लिए आधार मिस-मेच के कारण बीमित होने से वंचित रहे कृषकों के लिए राष्ट्रीय बीमा पोर्टल आगामी 26 मई 2020 तक की अवधि के लिए खोल दिया गया है।

उपनिदेशक कृषि (विस्तार) राधेश्याम नारवाल ने यह जानकारी देते हुए जैसलमेर जिले के ऐसे सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने आधार नम्बर अपडेट कराएं ताकि योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

उप निदेशक ने बताया कि जिन किसानों का खरीफ 2019 सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंक द्वारा कृषक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है लेकिन उनके आधार नम्बर किन्ही कारणों से प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर मिसमेच हो रहा है वे सभी कृषक अपना आधार नम्बर अद्यतन करवाने के लिए बीमा करने वाले सम्बन्धित बैंक की शाखा से सम्पर्क स्थापित कर आगामी 26 मई तक अपना आधार नम्बर अद्यतन (अपडेट) अनिवार्य रूप से करवा लें, जिससे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर बैंकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाकर बीमा पॉलिसियों का सृजन किया जा सके।

--000--

जैसलमेर - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेंटर) कार्यालय में नये टेलीफोन स्थापित

जैसलमेर, 18 मई/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर सेन्टर जैसलमेर कार्यालय का पुराना टेलीफोन नम्बर 02992-250411 को परिवर्तन किया जाकर उसके स्थान पर नया स्थापित टेलीफोन नम्बर 02992-294676 है। इसी प्रकार सचिव प्राधिकरण आवास के पुराने टेलीफोन नम्बर 02992-250675 को बन्द किया जाकर उसके स्थान पर आवास के नये स्थापित टेलीफोन नम्बर 02992-294675 हैं।

---000---

जिला कलक्टर के निर्देश पर हुई त्वरित कार्यवाही,

सोनार किले का अखेप्रोल गेट हुआ ठीक

जैसलमेर, 18 मई/रविवार को तेज अंधड़ के दौरान सोनार किले के अखेप्रोल गेट का एक हिस्सा गिर जाने के बाद जिला कलक्टर नमित मेहता ने इस बारे में त्वरित निर्देश दिए। इसके उपरान्त इसे ठीक कर दिया गया।

गेट गिरने की जानकारी प्राप्त होते ही जिला कलक्टर मेहता ने नगर परिषद के आयुक्त बृजेश राय को निर्देश दिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के स्थानीय अधिकारियों के साथ पहुंचकर मौका मुआयना करें और इसे ठीक कराएं।

नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय ने बताया कि जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देश प्राप्त होते ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया और जोधपुर में अधीक्षक(पुरातत्व एवं सर्वेक्षण) से चर्चा हुई। इसके बाद इसे सोमवार दोपहर में ठीक कर दिया गया।

राय ने बताया कि अधीक्षक ने यह भी अवगत कराया है कि इस गेट को और अधिक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी ताकि किसी प्रकार की दिक्कत भविष्य में न हो।

---000---

पोकरण शहरी क्षेत्र हाईरिस्क जोन से भी हुआ मुक्त,

प्रतिषिद्ध क्षेत्र(प्रोहिबिटेड एरिया) के आदेश तुरन्त प्रभाव से वापस लिए

जैसलमेर, 18 मई/ कोरोना के संक्रमण व प्रसार को रोकने के लिए पोकरण नगरपालिका क्षेत्र को हाई रिस्क जोन होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र(प्रोहिबिटेड एरिया) घोषित किए जाने के बारे में 15 मई को जारी आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट (जिला कलक्टर) नमित मेहता ने सोमवार रात इस आशय का आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है, इसे देखते हुए वहां प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किए जाने के आदेश को वापस ले लिया गया है।

---000---